

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

:-विविध संशोधन आदेश:-

क्रमांक 125/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./सां.अनु./19

ग्वालियर, दिनांक.08/08/2025

प्रशासनिक कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन विविध आदेश क्र. -175/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 14.08.2025 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1- विविध आदेश के पृष्ठ क्र. 8 पर अंकित सरल क्र. 8 (अ) (श्री विवेक कुमार, षष्ठम जिला न्यायाधीश) के कॉलम क्र. 4 में कण्डिका 2 पर अंकित इबारत विलोपित की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन इबारत प्रतिस्थापित की जाती है:-

"2. आरक्षी केन्द्र **भंवरपुरा, तिघरा, गोले का मंदिर** से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First.Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।"

2- विविध आदेश के पृष्ठ क्र. 10 पर अंकित सरल क्र. 10 (अ) (श्री विशाल अखण्ड, अष्टम जिला न्यायाधीश) के कॉलम क्र. 4 में कण्डिका 2 पर अंकित इबारत विलोपित की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन इबारत प्रतिस्थापित की जाती है:-

"2. आरक्षी केन्द्र **कोतवाली** से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First.Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।"

3- विविध आदेश के पृष्ठ क्र. 10 पर अंकित सरल क्र. 10 (अ) (श्री विशाल अखण्ड, अष्टम जिला न्यायाधीश) के कॉलम क्र. 4 में कण्डिका 1 पर अंकित इबारत विलोपित की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन इबारत प्रतिस्थापित की जाती है:-

"1. सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर एवं चौबीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)।"

4- "पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)।" से संबंधित कार्य श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, चौदहवे जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को दिया जाता है।

5- विविध आदेश के पृष्ठ क्र. 41 पर अंकित सरल क्र. 9 पर अंकित इबारत विलोपित की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन इबारत प्रतिस्थापित की जाती है:-

"9. मुख्यालय ग्वालियर पर ओ.ए.डब्ल्यू (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) से संबंधित विशेष न्यायालय जिन्हें सिविल का कार्य नहीं दिया गया है उनके सिविल एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियाँ **चतुर्थदशम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर** द्वारा संपादित किए जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार **नवम् जिला न्यायाधीश** पर रहेगा, उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढ़ते क्रम में प्रभार रहेगा। **चतुर्थदशम जिला न्यायाधीश को**

छोड़कर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्चार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।”

उक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

08 AUG 2026

पृष्ठांकन क्रमांक 6919/एक-11-1/कार्य विभा.नस्ती/सां.अनु./19 ग्वालियर, दिनांक...08/08/26
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी ग्वालियर/डबरा/भितरवार को ई-मेल में माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग काउंटर/पूछताछ केन्द्र, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, ग्वालियर/डबरा/भितरवार
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 8. जे.एस.ए, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय-ग्वालियर
की ओर उपरोक्तानुसार ई-मेल की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर।
10. ऑफिस मोहरर, जिला न्यायालय ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

08 AUG 2026